

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 3/अजमेर 1989-94

यह प्रमाणित किया जाता है कि रोहन केथोलिक ठाकुरा लीरान
तर्बत लीसाबटी अजमेर जिला अजमेर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक घोषीत माह अजमेर सन् एक हजार नौ सौ तराना को
अजमेर में दिया गया।

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।

For: Vishal Aggarwal.

Director
R.C.D. Social Service Society
Madar, AJMER